

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1488/2011

Sultan Singh

----Appellant

Versus

Hari Singh And Ors.

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 114/2009

Girvar Singh And Ors.

----Appellant

Versus

Sultan Singh And Ors.

----Respondent

For Respective Parties	:	Mr. Sultan Singh Rathore Mr. Ranjeet Singh Rathore Ms. Khushboo Shekhawat Mr. Himmat Singh Shekhawat Mr. Sonu Singh Shekhawat Mr. Bhawani Singh Rathore Mr. Ranveer Singh @ Dilip Singh Shekhawat Ms. Saroj Kumari @ Krishana Kanwar
------------------------	---	---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2023

S.B. Civil First Appeal No. 114/2009

खुशबु शेखावत पुत्री स्व. श्री राजेन्द्रसिंह व्यक्तिशः उपस्थित है जिन्होंने अपनी पहचान बाबत आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
खुशबु की ओर से वारिसनामा(सजरा) पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

उन्होंने अपने पिता प्रत्यर्थी संख्या 8/2 श्री राजेन्द्र सिंह की मृत्यु बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 8/2 श्री राजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान खुशबु शेखावत(पुत्री), हिम्मतसिंह शेखावत(पुत्र), सोनूसिंह शेखावत(पुत्र) व पत्नी श्रीमती प्रेम कंवर(पत्नी) को अभिलेख पर लिये जाने अपीलार्थी नियमानुसार कार्यवाही करे।

सुलतान सिंह, रणजीतसिंह, हिम्मतसिंह, सोनूसिंह, भवानीसिंह, रणवीरसिंह उर्फ दिलीपसिंह, सरोज कुमारी उर्फ कृष्णा कंवर व्यक्तिशः उपस्थित है। जिन्होंने अपनी पहचान बाबत आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 4 लालसिंह की मृत्यु दिनांक 07.03.2017 को हो जाने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 6 श्री भवानीसिंह की ओर से मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया जावे।

अपर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड संख्या 2, जोधपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की प्रति सुलतानसिंह की ओर से अवलोकनार्थ पेश की गई जो पत्रावली में संलग्न की जावे।

अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने के लिए दो सप्ताह में नियमानुसार कार्यवाही करे। नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर नोटिस जारी किये जावे।

इस न्यायालय के दिनांक 05.04.2021 के शख्त आदेश के बावजूद अपीलार्थी द्वारा इस मामले में तामील नहीं करवायी गयी है।

अपीलार्थी बकाया प्रत्यर्थीगण की तामील हेतु पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में पेश करे जिस पर नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से व दूसरी प्रति साधारण प्रक्रिया से भेजे जाने हेतु अपीलार्थी को दस्ती दिये जावे।

अपीलार्थी द्वारा बकाया प्रत्यर्थीगण पर नोटिस की तामील हेतु पीएफ व नोटिस दो सप्ताह की अवधि में पेश नहीं करने की सूरत में पत्रावली इस न्यायालय में पेश किये बगैर प्रकरण स्वतः खारिज समझा जायेगा।

पत्रावली एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1488/2011 के साथ दिनांक 01.05.2023 को सूचीबद्ध हो।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1488/2011

अपीलार्थी सुलतानसिंह व्यक्तिशः उपस्थित है।

इस मामले में शीघ्र सुनवाई की दरखास्त दिनांक 05.04.2021 को स्वीकार की जा चुकी है।

संबद्ध प्रकरण एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 114/2009 में तामील नहीं होने से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। संबद्ध प्रकरण में तामील नहीं होने की सूरत में आगामी तारीख पर सुनवाई की जायेगी।

पत्रावली संबद्ध अपील संख्या 114/2009 के साथ दिनांक 01.05.2023 को सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

151-152 SN Lohra/-